8

निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

जलेब चौक,जयपुर।
फोन :- 0141-2612591, ,फैक्स : 0141-2603407, ई-मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकः प.37 ( )गृरमु/पीएसएएल/2016/121-125 दिनांकः 10.02.2017

स्थाई-आदेश सं. I/2017

विषयः- प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी की अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में।

प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 एवं राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम,2005 (PSAR Act) में वर्णित नियमों के तहत आवदेकों को लाईसेन्स जारी करते समय तत्कालीन महानिदेशक, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाकर अतिरिक्त महानिदेशक एवं उपमहासमादेष्टा, गृह रक्षा के समक्ष साक्षात्कार लिया जाकर लाईसेन्स जारी किये जाते रहे है।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता, अतिरिक्त महानिदेशक एवं उपमहासमादेष्टा, गृह रक्षा के व्यक्तिगत अनुभव, नियमों के गहन अध्ययन एवं आवेदकों की समस्याओं पर गौर करने से ज्ञात हुआ की आवेदकों को साक्षात्कार के लिये बुलाने पर उनको काफी असुविधा व असंतोष का सामना करना पडता है एवं लाईसेन्स मिलने में विलम्ब होता है।

प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 एवं राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम,2006 (PSAR Act) के नियमों में लाईसेन्स जारी करते समय साक्षात्कार का कोई प्रावधान भी नही है। पारदर्शिता की दृष्टि से भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में रोजगार तथा भर्ती हेतु साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है।

प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी के लिये वर्ष 2012 से पूर्व अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान, जयपुर एवं उसके पश्चात महानिरीक्षक पुलिस (सुरक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा यह कार्य किया जाता था। उनके द्वारा आवेदकों से साक्षात्कार नही लिया जाता था परंतु आवेदकों से आवेदन प्रस्तुत करते समय व्यक्तिगत रूप से आवश्यक पूछताछ तथा आवेदन सम्बन्धी दस्तावेजों में कमी इत्यादि की पूर्ति करवाई जाती थी।

अतः पारदर्शिता तथा आवेदकों की परिस्थितियों एवं नियम-3 के उप नियम (1) को दृष्टिगत रखते हुये साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है। आवेदक पूर्व की भांति आवेदन प्रस्तुत करते समय व्यक्तिगत रूप से जूनियर स्टाफ आफिसर एवं अन्य उच्च अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करेगे एवं आवेदन से संबंधित आवश्यक एवं उचित जानकारी उपलब्ध करवायेगें तथा दस्तावेजों की कमी की

... 2 ...

... 2 ...

Scanned by CamScanner

पूर्ति करेगें। वर्तमान परिपेक्ष्य एवं आन्तरिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक की संभवत्या एक बार ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रयोजनार्थ सिक्यूरिटी सैल में एक पंजिका का संधारण किया जावेगा तथा संबंधित अधिकारी इन आवेदकों से उस पंजिका में हस्ताक्षर करवायेगें। अगर एक आवेदक एक से अधिक बार आवेदन के संबंध में उपस्थित होता है तो भी उसके हस्ताक्षर इस पंजिका में करवाये जावेगें।

आवेदनों को चैक लिस्ट के अनुसार गहन तथा विस्तृत जॉच करने हेतु निम्नांकित विभागीय समिति का गठन किया जाता है :—

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,गृह रक्षा,राजस्थान,जयपुर —सदस्य
2. सीनियर स्टाफ आफिसर गृह रक्षा,राजस्थान,जयपुर —सदस्य
3. जूनियर स्टाफ आफिसर गृह रक्षा,राजस्थान,जयपुर —सदस्य

उपरोक्त समिति आवेदनों तथा संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जॉच कर अनुज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु अपनी अनुशंषा सहित अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगें।

उपरोक्त समिति अपनी अनुशंषा प्रत्येक तिमाही (मार्च,जून,सितम्बर,दिसम्बर) में अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु प्रस्तुत करेगें। किसी माह में यदि आवेदनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है तो समिति किसी तिमाही के पूर्व भी जॉच कर आवेदनों को अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है।

प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी के लिये जारी की गई अनुज्ञप्ति आवेदकों को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा भिजवाई जावेगी।

(नवदीप सिंह)
महानिदेशक,पुलिस
एवं नियंत्रक प्राधिकारी
गृह रक्षा,राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,गृह रक्षा,राजस्थान,जयपुर।
2. सीनियर स्टाफ आफिसर गृह रक्षा,राजस्थान,जयपुर।
3. जूनियर स्टाफ आफिसर गृह रक्षा,राजस्थान,जयपुर।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सैल को भेजकर लेख है कि विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
5. आदेश पत्रावली।

(पंकज महर्षि)
उप महासमादेष्टा
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल
गृह रक्षा, मुख्यालय,राजस्थान,
जयपुर।

Scanned by CamScanner